


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1994/चैत्र 22, 1916

No. 157] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1994/CHAITRA 22, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 378 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांड़ला पत्तन न्याय कर्मचारी (गृह निर्माण प्रथम विशेष कुटुम्ब प्रसुविधा निधि संशोधन विनियम, 1994) का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट के न्यासी मंडल ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाए हैं जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसार प्रकाशित किए गए हैं।

1. ये विनियम कांडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी गृह निर्माण अभिन्न विशेष कुटुम्ब प्रसुविधा निधि संशोधन विनियम, 1994 कहे जायेंगे।

2. उक्त अधिनियम इस अधिमूचना के अन्तर्गत राष्ट्रपति में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

संशोधन :

3. विनियम (1) में, वाक्यांश (ख) के बाद वाक्यांश (ग) को रखा जाएगा। 1(ग) इस योजना का उद्देश्य यह है कि यदि सेवाकाण के दौरान प्रतिदिन के कार्य में व्यस्त किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में व्याज सहित गृह निर्माण अभिन्न के मद्दे अनुन्मुक्त देयता की क्षतिपूर्ति निधि से की जा सके।

4. विनियम 4 हटा दिया जाए।

5. विनियम 8(ग) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

निधि में उपलब्ध राशि का निवेश भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में सार्वजनिक प्रतिभूतियां तथा बंधपत्र तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर जैसा निश्चित किया जाए उन अन्य प्रतिभूतियों के रूप में किया जाए।

6. विनियम 10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए—

योजना के किसी खंड के निर्वाचन के संबंध में यदि किसी प्रकार का प्रश्न उठता है तो उनका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

सचिव कांडला पोर्ट ट्रस्ट
[फा.सं. एच-11011/4/93-पीई-1]
सी.एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

प्रादरशिका—सा.का.नि. 449(ई) दिनांक 30-4-92 द्वारा मुख्य विनियम अनुमोदित।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1994

G.S.R. 378(E).--In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (House Building Advance Special Family Benefit Fund) (Amendment) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla have made the following Regulations with the approval of the Central Government which is published in accordance with Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963.

1. These Regulations may be called the Kandla Port Trust Employees House Building Advance Special Family Benefit Fund (Amendment) Regulations, 1994.

2. These Regulations shall come into force on the date of publication in the Gazette of India.

3. In Regulation (1), the following, clause (c) may be inserted after clause (b).

(C) The object of the Scheme is to compensate from the fund the undischarged liability towards the House Building Advance including interest thereon in the case of an employee who dies in harness while in service.

4. Regulations 4 may be deleted.

5. Regulations 8(c) may be substituted by the following :—

Investment of the amount available in the fund shall be made in the S.B.I. and its associate Banks, the Nationalised Banks, I.D.B.I. Public Securities and Bonds and Public Sector Undertakings or in such other securities as may be decided by the Chairman from time to time.

6. Regulation 10 may be substituted by the following—

If any question arises as to the interpretation of any clause of the scheme,
the same shall be decided by the Board.

Secretary

Kandla Port Trust

[F. No. H-110] [4/93-PE-1]

Foot-Note :

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Principal Regulations were notified in the Gazette of India vide G.S.R.
449(E) dated 30-4-1992.